न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाशचन्द्र अग्रवाल , आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 15/2019

2019/00027

वादीगण

1. हरेश कुमार पुत्र नाथाराम जाति सुथार निवासी रानीवाडा खुर्द तहसील रानीवाडा जिला–जालोर

प्रतिवादीगण

1. पारसमल पुत्र रतनाजी जाति जीनगर निवासी रानीवाडा कलां तहसील रानीवाडा जिला जालोर
2. भूमिधारी तहसीलदारजी रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 111,128 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. प्राथी अधिवक्ता श्री मोहनलाल विश्नोई व वीर बहादुरसिंह देवड़ा।
2. अप्रार्थी अधिवक्ता श्री पुखराज विश्नोई।

निर्णय

दिनांक – 26.09.2019

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय फरीकैन हाजिर पत्रावली का अवलोकन किया तथा दोनो पक्षों कि अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्व अंतर्गत धारा 111,128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में प्रार्थना पत्र के अनुसार इस प्रकार है कि सरहद मौजा रानीवाडा खुर्द तह0 रानीवाडा में प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा नं. 956/2255 रकबा 0.10 है0 आई हुई है। जिसकी खातेदारी वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के नाम दर्ज हैं।

प्रार्थी की उक्त खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 956/2255 रकबा 0.10 है0 के उतर पश्चिम में अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी आराजी नवीन खसरा नम्बर 948 रकबा 1.08है0 आई हुई हैं तथा प्रार्थी की उक्त आराजी खसरा नम्बर 956/2255 रकबा 0.10है0 के दक्षिण दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी आराजी नवीन खसरा नम्बर 956 रकबा 1.41है0 आई हुई हैं जिसकी खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज है।

प्रार्थी की उक्त खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 956/2255 रकबा 0.10 है0 व अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी खसरा नम्बर 956 रकबा 1.41 है0 व खसरा नम्बर 948 रकबा 1.08है0 के सीमाज्ञान को लेकर विवाद हैं। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी की उक्त आराजी खसरा नम्बर 956/2255 रकबा 0.10है0 के सीमा का विवाद कायम रखना चाहता हैं क्योंकि प्रार्थी की उक्त आराजी के दोनों तरफ अप्रार्थी की आराजी का सीमा विवाद करने के लिये उतारू रहता हैं। उक्त आराजी बाबत पूर्व में भी अदालत हाजा में एक प्रार्थना पत्र बाबत पत्थर गड्डी कर स्थाई सीमा चिन्ह कायम करने हेतु पेश किया था। उक्त पूर्व के प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा

Scanned by CamScanner

1 के द्वारा ऐतराज किया गया कि प्रार्थी ने पत्थर गड्डी के प्रार्थना पत्र से पूर्व में तहसीलदाजी रानीवाडा से विवादीत आराजी की पैमाईश नहीं करवायी थी। प्रार्थी ने पूर्व में पैमाईश करने बाबत अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया था, मगर उक्त पैमाईश बाबत कोई सबूत पेश नहीं किया था तथा पूर्व पैमाईश के सबूत के अभाव में प्रार्थी के पूर्व पैमाईश के कथन न्यायालय में मान्य नहीं किये। तथा प्रार्थना पत्र दिनांक 15.01.2019 को खारीज कर दिया था।

प्रार्थी द्वारा दिनांक 04.04.2019 को श्रीमान तहसीलदार साहब रानीवाडा के समक्ष मौजा रानीवाडा खुर्द के खसरा नम्बर 956/2225 रकबा 0.10 हैक्टर की पैमाईश हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर तहसीलदारजी रानीवाडा द्वारा पृष्ठ संख्या 23 क्रमांक 3 दिनांक 05.04.2019 पर दर्ज कर हल्का पटवारी को पैमाईश के आदेश जारी किये। जिस पर हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 15.04.2019 को मौके पर जरीब चलाई गई तथा माठ कायम कर सीमा चिन्ह बताये तो अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा सीमा चिन्ह स्वीकार नहीं किया गया तथा मामले में विवाद पैदा कर दिया तथा मौके पर पैमाईश की कार्यवाही को पूर्ण नहीं होने दिया। जिससे प्रार्थी की पैमाईश की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से प्रार्थी अपनी आराजी की वास्तविक स्थिति की माठ को कायम नहीं कर पा रहा हैं। इस प्रकार मौके की स्थिति विवादीत होने पर मौके की पैमाईश हेतु स्थाई पत्थर गड्डी के आदेश जारी किया जाना न्यायोचित होगा।

अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब दावे मे बताया गया कि उसके पूर्व खातेदार भोमाराम पुत्र हीरा कौम जीनगर एवं सीमा पत्नि भोमाराम जीनगर से सन् 2007 मे उक्त कृषि भूमि मौल खरीद कर कब्जा वर्तमान स्थिति अनुसार प्राप्त किया था, तथा ना.क.स.361,1362 दिनांक 10.03.2010 को राजस्व रेकर्ड मे अप्रार्थी संख्या 01 पारसमल का नाम दर्ज किया गया है। इससे पूर्व भी खातेदारान द्वारा कब्जा वर्तमान मे स्थित अनुसार ही काबिज काश्त थें तथा पुर्व खातेदारानो ने ही अप्रार्थी संख्या 01 को बैचान करने के बाद कब्जा उसी स्थान पर सुपुर्द किया तथा अप्रार्थी संख्या 01 का कब्जा राजस्व रेकर्ड मे दर्ज आराजी अनुसार ही आराजी पर काबिज लगातार कई वर्षो से चले आ रहे है। किसी भी प्रकार से खसरा नम्बर 956/2255 व खसरा नम्बर 948 व 956 की सीमा पर माठ नही सरकाई हैं। प्रार्थी की खातेदारी आराजी अप्रार्थी संख्या 01 के खरीद एवं कब्जे के पश्चात ही खरीद की हुई हैं, तथा वर्तमान मे किसी भी तरह से हल्का पटवारी से पैमाईश नही कर सीधे स्थाई सीमाचिन्ह हेतु पत्थर गड्ढी करवाने के लिए मिथ्या कथनो के आधार पर अनुतोष प्राप्त नही कर सकता हैं क्योंकि पहले धारा 111 मे तहसीलदार रानीवाडा के समक्ष आराजी का सीमाज्ञान करवाने हेतु प्रार्थी को नियमानुसार आवेदन करना चाहिए था उसके पश्चात सीमाज्ञान मे असफल रहने पर ही वह न्यायालय हाजा मे पत्थर गड्ढी करने हेतु आवेदन कर सकते थे सो प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रावधानो के विपरीत होने से काबिल खारिज हैं।

मौके पर प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 956/2255 रकबा 0.10है0 एवं अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी कृषि भूमि ,खसरा नम्बर 956 एवं 948 की माठ के बीच अप्रार्थी संख्या 01 की कृषि भूमि मे 5–5 फीट की ऊचाई मे रेतिला धोरा (बांध) की तरह अप्रार्थी संख्या 01 के पूर्व खातेदारान द्वारा बनाया हुआ है। जिस पर जगह जगह पर स्थाई पत्थर की छीणे लगाकर कांटो की बाड की हुई हैं तथा भूमि की पूर्व खातेदारान के नाम दर्ज खातेदारी के वक्त से नाप कर सीमाज्ञान करके ही कांटो की बाड की हुई हैं, तथा स्थाई सीमा चिन्हो पर पत्थर छीणें मौके पर माठ पर लगाई हुई हैं मौके पर सन् 2007 सें आज दिन तक उक्त

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा

Scanned by CamScanner

माठ को किसी भी खातेदारान द्वारा अतिक्रमण करने के आश्य से सरकायी हुई प्रथम दृष्टया साबित ही नही है। दिनांक 15.04.2019 को मौके पर हल्का पटवारी रानीवाडा खुर्द ने अप्रार्थी संख्या 01 को नोटिस नही दिया तथा मौके पर खसरा नम्बर 956/2255 पर आकर की सीमाज्ञान किया ही नही, एवं गलत एवं मिथ्या रिपोर्ट बनाई है क्योंकि मौके पर पटवारी आते तो अप्रार्थी संख्या 01 को बुलवाते तब जिस भूमि की सीमा के विवाद होने की सूरत पर खसरा नम्बर 956/2255 एव 956,948 की सीमाओं के माठ की पैमाईश करते हुए मौके का नक्शा बनाया नही तथा किस भूजा के नाप पर विवाद हुआ, तथा अप्रार्थी संख्या 01 के द्वारा कोनसे सीमा चिन्हो को नही माना, यह कथन मौके पर किसके खेत में कितनी ऊंचाई पर माठ कायम हैं, दोनो की सीमाओ की पाल की ऊंचाई कितनी हैं, माठ पर कांटो की बाड हैं, तारबंदी हैं या पत्थर के छीणें लगी हुई हैं, ऐसी कोई मौका जांच रिपोर्ट सीमाज्ञान रिपोर्ट में पटवारी ने दिनांक 15.04.2019 को उल्लेखित नही करना सो प्रार्थना पत्र यह जाहिर करता है कि पटवारी द्वारा मौके पर दोनों पक्षो की हाजरी में सीमाज्ञान नही किया हैं नही रिपोर्ट में उल्लेखित किया है। तथा ना ही उन्हे उक्त तरह से परेशान करने की बदनियति से किसी भी प्रकार से गलत सीमाज्ञान के नाम पर अनुसूचित जाति की कृषि भूमि को स्वर्ण जाति के प्रार्थी हरेश सुथार द्वारा स्थाई पत्थर गड्डी नही करवा सकता है क्योकि जिस दिन उप पंजीयक रानीवाडा के समक्ष पूर्व खातेदार छोगा वल्द धन्ना, भंवरलाल, गणेशा पुत्रगण नर्बदा ,सुरजा बाई,भावना बाई, बकुबाई पुत्रीयान नर्मदा से वक्त खरीद रजीस्टी में मौके पर उपलब्ध खरीद शुदा आराजी का कब्जा 0.10 हैक्टर का प्राप्त करना उल्लेखित किया हैं फिर से अब किस माठ का क्या विवाद रहा, यह प्रार्थना पत्र में साबित करने में प्रार्थी असमर्थ रहा हैं। सो प्रार्थना पत्र गलत एवं मिथ्या तथ्यों पर आधारित होने से अनुतोष प्राप्त करने योग्य नही है।

अप्रार्थी संख्या 01 का खातेदार खेत प्रार्थी के खेत की धरातल से 3–4 फीट की ऊचाई मे भौगोलिक रूप से स्थित है। तथा सीमा की माठ भी ऊचाई मे है। तथा माठ से नीचे प्रार्थी का खेत हैं। वर्षा ऋतु का पानी का बहाव होने से अप्रार्थी संख्या 01 की जमीन के कटाव होकर उपजाऊ जमीन व उर्वरक खाद व काली मिट्टी पानी के बहाव मे बह बह कर प्रार्थी के ढलान वाले खेत मे चली जाती थी तथा अप्रार्थी संख्या 01 कि जमीन मे कटाव उत्पन्न हो जाता था जिससे प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 01 से मौके पर बिना कारण विवाद करता था इसके लिए ही उक्त वर्षा ऋतु के पानी के बहाव से कृषि जमीन के कटाव को रोकने हेतु लगभग 5–5 फीट की ऊचाई की अप्रार्थी संख्या 01 के कृषि भूमि मे से मिट्टी चढाकर ऊचाई मे बांधनुमा दीवार बना कर उक्त उपजाऊ मिट्टी बहाव कटाण रोक देने से नाराज होकर प्रार्थी ने जानबूझ कर यह गलत कथनों पर स्थाई सीमाज्ञान के नाम पर अप्रार्थी संख्या 01 की उक्त खेत की सूरक्षार्थ 5–5 फीट ऊंचाई की मिट्टी की पाल व बांध को तुडवाने हेतु गलत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी संख्या 01 ने कभी भी खसरा नम्बर 956/2255 व खसरा नम्बर 956 व 948 के बीच की माठ अस्पष्ट व सीमाचिन्ह मिटाने का प्रयास नही किया क्योंकि दोनो खेतो के बीच पक्की एवं स्थाई कांटो की कई वर्षो पूरानी बाड व पत्थर की छीणे लगी हुई है। वर्तमान मे स्थाई सीमा चिन्ह पहले से मौजूद हैं। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन होने से काबिल खारिज हैं।

पत्रावली मे पेश किये गये प्रार्थना पत्र एवं जवाब दावे के कथनो एवं बहस के तथ्यों पर मनन करने पर पाया कि दोनों पक्षकार मूल खातेदार नही होकर विभिन्न तिथियों में भूमि केता के रूप में रिकॉडेर्ड खातेदार है। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा दिनांक 15.04.2019 को तहसीलदार रानीवाडा से सीमांकन करवाया गया। जिसकी मौका फर्द में लिखा है कि खातेदार

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा

Scanned by CamScanner

पारसमल पुत्र रतनाजी कौम जीनगर द्वारा सीमाकंन स्वीकार नहीं किया गया मामला विवादीत होने के कारण यह पैमाईश पत्थर गड्डी से सम्बन्धित है।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार रानीवाडा ने भी बहस में बताया कि विवाद होने से पत्थर गड्डी के आदेश दिये जाये तो कोई आपत्ति नहीं है। अप्रार्थी की आपत्तियों पर गौर किया गया, चुंकि मामला पत्थर गड्डी से सम्बन्धित है। एवं इस पर पूर्वन्याय का सिद्वान्त लागु नही होता है। पूर्व में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मेरिट पर खारीज नही किया जाकर तकनीकी बिन्दु (वाद कारण का अभाव) पर खारीज किया गया था। अतः उपरोक्त खसरा वादग्रस्त होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—: आदेश :—

अतः उपयुक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रानीवाडा को आदेश दिया जाता है कि मौजा रानीवाडा खुर्द के खसरा नम्बर 956/2255 रकबा 0.10 हैक्टेयर के आराजी की पैमाईश कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थर गड्डी हेतु एक कमेटी का गठन करवा कर 7 दिवस में पालना प्रस्तुत करें। एवं आप द्वारा गठित टीम को निर्देशित करें कि दोनों पक्षों को सूचित कर उनके रूबरू मोमियों नक्शा ट्रेस सहित लट्ठा नक्शा से पैमाईश करें, तथा सीमांकन कर पत्थर गड्डी करवायें। इस आदेश की पालना हेतु आदेश की प्रति तहसीलदार रानीवाडा को भेजी जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा, जिला- जालोर

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा

निर्णय आज दिनांक 26.09.2019 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा, जिला- जालोर

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2019.11.18 15:58:35 IST
Reason: SelfAttested
Location: